

बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

राजीव शंकर,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

*द्वारा—आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक—

विषय:— षष्ठम् राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए कर्णांकित अवशेष राशि की सामान्य निधि की राशि ₹46717.25 लाख (चार सौ सड़सठ करोड़ सत्रह लाख पच्चीस हजार रुपये) मात्र का 3.1 प्रतिशत राशि ₹1448.23476 लाख (चौदह करोड़ अड़तालीस लाख तेईस हजार चार सौ छिहत्तर रु०) मात्र वित्तीय वर्ष 2026–27 में मुख्यालय स्तर पर कार्यरत SPUR Type PMU, सूचना प्रौद्योगिकी सक्षमता बढ़ाने और विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण पर केन्द्रीयकृत रूप से व्यय करने हेतु आवंटन की स्वीकृति।

आदेश:— स्वीकृत।

षष्ठम् राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए कर्णांकित अवशेष राशि की सामान्य निधि की राशि ₹46717.25 लाख (चार सौ सड़सठ करोड़ सत्रह लाख पच्चीस हजार रुपये) मात्र का 3.1 प्रतिशत राशि ₹1448.23476 लाख (चौदह करोड़ अड़तालीस लाख तेईस हजार चार सौ छिहत्तर रु०) मात्र वित्तीय वर्ष 2026–27 में मुख्यालय स्तर पर कार्यरत SPUR Type PMU, सूचना प्रौद्योगिकी सक्षमता बढ़ाने और विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण पर केन्द्रीयकृत रूप से व्यय करने हेतु सहायक अनुदान के रूप में आवंटन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उक्त स्वीकृत राशि ₹1448.23476 लाख (चौदह करोड़ अड़तालीस लाख तेईस हजार चार सौ छिहत्तर रु०) मात्र के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग होंगे, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2026–27 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०—2561, दिनांक—17.04.98 एवं पत्रांक—236, दिनांक—09.03.2026 में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। **अवर सचिव—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राशि बुडा के पी०एल० खाता संख्या— PBBPLA015, HOA संख्या— 00-8448-00-120-0035-00-01 में CFMS के माध्यम से Inter Departmental विधि से Online हस्तांतरित किया जाएगा।** राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी।

3. स्वीकृत कुल राशि ₹1448.23476 लाख (चौदह करोड़ अड़तालीस लाख तेईस हजार चार सौ छिहत्तर रु०) मात्र की निकासी चालू वित्तीय वर्ष 2026–27 में मांग संख्या—48, स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत आय—व्ययक के मुख्य शीर्ष— 2217—शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष—80—सामान्य, लघुशीर्ष—191—नगर निगम को सहायता, उपशीर्ष—0013—राज्य वित्त आयोग के अनुशंसा के आलोक में नगर निगम को सहायक

अनुदान-विपत्र कोड-48-2217801910013 विषय शीर्ष-31.04 से ₹724.11738 लाख (सात करोड़ चौबीस लाख ग्यारह हजार सात सौ अड़तीस रु०) मात्र एवं विषय शीर्ष-31.05 से ₹724.11738 लाख (सात करोड़ चौबीस लाख ग्यारह हजार सात सौ अड़तीस रु०) मात्र की निकासी की जाएगी।

4. स्थानीय शहरी निकायों को Grant के रूप में प्राप्त होने वाली राशि का उपयोग नगर विकास एवं आवास विभाग के ज्ञापांक-2ब०/वि०आ०-25-04/2021-3201, दिनांक-02.11.2022 द्वारा निर्गत षष्ठम् राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित राशि के व्यय हेतु मार्गदर्शिका के अनुरूप किया जायेगा।

5. वित्त विभाग के परिपत्र सं०-7355 वि(2), दिनांक-05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-1496, दिनांक-22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा।

6. वित्त विभाग के संकल्प सं०-573, दिनांक-16.01.1975 एवं एम 04-15/2009-9736, दिनांक-19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271 के अनुसार “सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं अंकेक्षण लेखा स्वीकृतिदेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।”

7. प्रस्ताव में वित्त एवं नगर विकास एवं आवास विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

8. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या- Y/14/2026-SEC_2-UDHD DEPT के Note#-.....०५..... पर दिनांक-18.08.20१६ को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन Note#-.....०७..... पर दिनांक-20.08.20१६ को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- Y/14/2026-SEC_2-UDHD DEPT 152 /न०वि०एवंआ०वि० पटना, दिनांक-24.08.26

प्रतिलिपि:—अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/कोषागार पदाधिकारी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/संयुक्त सचिव-सह-निदेशक, बुडा, पटना/विभागीय लेखा शाखा को 02 प्रतियों में/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/विभागीय आई टी मैनेजर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने एवं सभी नगर निकायों को ई०-मेल करने हेतु/प्रशाखा पदाधिकारी-02 एवं 06, नगर विकास एवं आवास विभाग/संबंधित सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (05 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।